उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-81/2020/806/41-2020-157(बजट)/2019

लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2020

संख्या-54/2020/3847/41-2019-157(बजट)/2019 दिनांक 13.02.2020

का शुद्धि पत्र

जनपद अयोध्या में स्थित पंचकोसी व चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के सुदृढीकरण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू0 93.90 लाख+जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथक किश्त के रूप में धनराशि रू0 37.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश **संख्या-54/2020/3847/41-2019-157(बजट)/2019 दिनांक 13.02.2020** के पृष्ठांकन के क्रमांक 4 पर **मुख्य कोषाधिकारी अयोध्या** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ** तथा क्रमांक 9 पर **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी अयोध्या** के स्थान पर **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अयोध्या मण्डल अयोध्या** त्रुटिवश टंकित हो गया है।

2. अत: शासनादेश **संख्या-54/2020/3847/41-2019-157(बजट)/2019 दिनांक 13.02.2020** के पृष्ठांकन के क्रमांक 4 पर टंकित **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ** को विलोपित करते हुए **मुख्य कोषाधिकारी अयोध्या** तथा क्रमांक 9 पर **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, अयोध्या मण्डल अयोध्या** को विलोपित करते हुए **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी अयोध्या** टंकित किया जाता है। शासनादेश दिनांक **13.02.2020** की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अत: शासनादेश **संख्या-54/2020/3847/41-2019-157(बजट)/2019 दिनांक 13.02.2020** उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

ए0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-81/2020/806(1)/41-2020-157(बजट)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अयोध्या।
4- मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी अयोध्या।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in